भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1595

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

शहीदों के परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति

†1595 श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस ओर अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के परिवारों, विशेषकर बच्चों की सहायता के लिए कारपोरेट घरानों से सहायता की मांग की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है; और
(ग) पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के मृतक कार्मिकों के परिवार जन की सहायता के लिए व्यवसायिक घरानों से सहायता नहीं मांगी है। तथापि, सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन (एसडीएफ), बेंगलुरु ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से राष्ट्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले सीएपीएफ एवं एआर कार्मिकों के वार्ड्स को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

(ग): सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः

……2/-

(i) सीएपीएफ एवं एआर के मृतक कार्मिकों के निकट संबंधी सक्रिय कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के मामले में 15 लाख रु. की दर से तथा कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के मामले में दस लाख रु. की दर से एक मुश्त अनुग्रह मुआवजा राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ii) कर्तव्य के दौरान मृत्यु के मामले में सीएपीएफ एवं एआर के मृतक कार्मिक के निकट संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली और उदार पेंशन संबंधी अवार्ड की योजना के तहत की जाने वाली गणना के अनुसार असाधारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र है।

(iii) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, सीएपीएफ तथा एआर के मृतक, सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों के वार्ड्स के लिए लड़कियों के मामले में 2250 रु. की राशि प्रतिमाह की दर से तथा लड़कों के मामले में 2000 रु. की राशि प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। शैक्षिणिक वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्तियों को प्रतिवर्ष 910 से बढ़ाकर 2000 रु० अतिरिक्त छात्रवृत्ति कर दिया गया है।

(iv) सीएपीएफ तथा एआर कार्मिकों के वार्ड्स के लिए एमबीबीएस की 9 सीटें तथा बीडीएस की 2 सीटें आरक्षित हैं।

.....3/-

(v) अपेक्षित स्थानों पर सस्ती दरों पर विविध प्रकार की तथा बड़ी रेंज में उपभोक्ता वस्तुएं प्रदान करने के लिए दिनांक 18.9.2006 को एक केंद्रीय पुलिस कैंटीन की शुरूआत की गई है।

(vi) विकलांग कार्मिकों सहित सीएपीएफ तथा एआर के कार्मिकों एवं उनके परिवार जनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु दिनांक 17.5.2007 को एक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की स्थापना की गई है।

(vii) सीएपीएफ तथा एआर मृतक कार्मिकों के निकट संबंधियों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए समूह 'ग' और 'घ' में 5% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं।

(viii) उपरोक्त के अतिरिक्त, सीएपीएफ तथा एआर के पास अपनी स्वयं की कल्याणकारी योजनाएं तथा निधियां उपलब्ध हैं जिन्हें कार्मिकों एवं उनके परिवार जनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल के स्तर पर जुटाया जाता है।

*****